क्रम-संख्या–178(क–4)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 21 मई, 2026

बैशाख 31, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2

———————

संख्या 1258 / 81-2–2026-29(77)–2025
लखनऊ, 21 मई, 2026

———————

अधिसूचना

प0आ0–415

चूँकि, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भारतीय वन अधिनियम 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) के अधीन 'संरक्षित वन' के रूप में घोषित किये जाने के लिये प्रस्तावित की गयी है;

और चूँकि, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यह परीक्षण किया गया है कि पूर्वोक्त भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित करने से किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का वंचन नहीं किया जा रहा है;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनाँक से 'संरक्षित वन' घोषित करते हैं और यह भी अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किन्हीं नियमों के अधीन समस्त ऋतुओं में उक्त भूमि पर प्रदत्त समस्त अधिकार और विशेषाधिकार अबाध रूप से जारी रहेंगे।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6	7
सिद्धार्थनगर	शोहरतगढ़	नौगढ़	करूआ	222 घ	2.038	**उत्तर**– गाटा संख्या 220, गाटा संख्या 221 का शेष भाग, ग्राम सीमा हसुड़ी उर्फ गजहेडी **पूरब**– गाटा संख्या 222 का शेष भाग, ग्राम सीमा परसोहिया
				221 ख	0.050	

1	2	3	4	5	6	7
सिद्धार्थनगर	शोहरतगढ़	नौगढ़	करूआ			**दक्षिण**– गाटा संख्या 223, गाटा संख्या 221 का शेष भाग, गाटा संख्या 222 का शेष भाग **पश्चिम**– गाटा संख्या 220, गाटा संख्या 221 का शेष भाग
				कुल 02 गाटा	**2.088**	

आज्ञा से,
वी0 हेकाली झिमोमी,
प्रमुख सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1258/LXXXI-2–2026-29(77)–2025 dated May 21, 2026 :

No. 1258/LXXXI-2–2026-29(77)–2025

Dated Lucknow, May 21, 2026

WHEREAS the land mentioned in the Schedule below has been proposed to be declared as 'protected forest' under the Indian Forest Act, 1927 (Act no. 16 of 1927);

AND WHEREAS, it has been examined under sub-section (3) of Section 29 of the aforesaid Act that no rights of any person are being deprived by declaring the aforesaid land as protected forest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under section 29 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to declare the land mentioned in the Schedule below to be "protected forest" from the date of publication of this notification in the Official *Gazette* and it is also notified that all rights and privileges conferred on the said land across all seasons under any rules published by the State Government shall continue unabated.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Name of Village	Khasra No.	Area (in Hectares)	Boundary Description
1	2	3	4	5	6	7
Siddarthnagar	Sohartgarh	Naugarh	Karuwa	222 gh	2.038	**North-** Gata no. 220, Remaining part of Gata no. 221, Boundary of village Hasudi *urf* Gajahadi **East-** Remaining part of Gata no. 222, Boundary of village Parsohia **South-** Gata no. 223, Remaining part of Gata no. 221, emaining part of Gata no. 222 **West-** Gata no. 220, Remaining part of Gata no. 221
				221 kh	0.050	
				Total 02 Gata	**2.088**	

By order,
V. HEKALI ZHIMOMI,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 341 राजपत्र–2026–(774)–599+25=624 प्रतियां (डी0टी0पी/ऑफसेट)।